राजव्यवस्था
RAGDA
Handwritten Notes

CAPF NDA CDS FCAT CPO SSC GD
ARMY NAVY AIR FORCE STATE POLICE

Also Available on amazon Flipkart

Available Books

WhatsApp No.: 888-27-555-63

अब Live Classes आपके Mobile पर
TotalExam Plus App

TotalExam
जुनून वर्दी का

राजव्यवस्था
RAGDA
Handwritten Notes

CAPF NDA CDS FCAT CPO SSC GD
ARMY NAVY AIR FORCE STATE POLICE

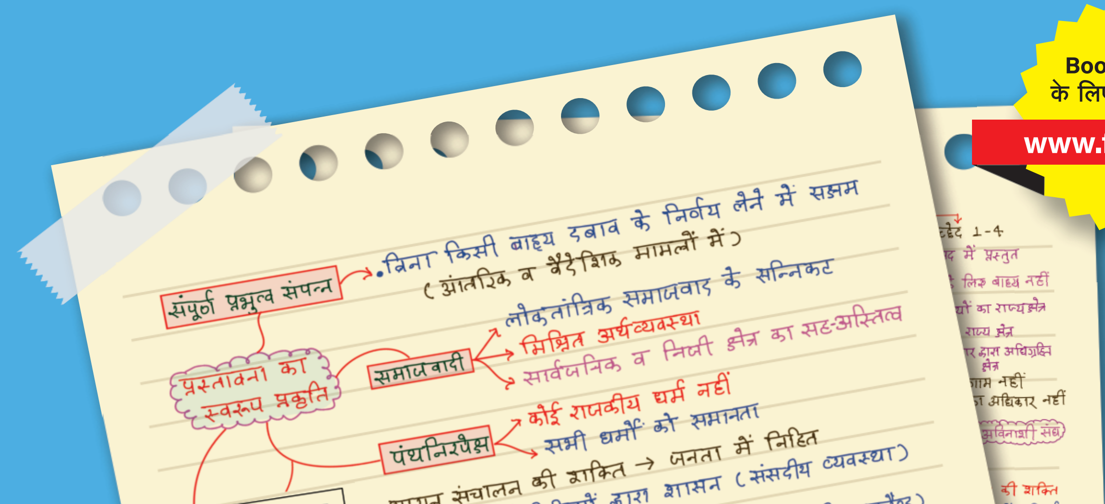

Books खरीदने के लिए Visit करें
www.forcekit.in

TotalExam Publication
Bhagalpur

9788199069473

Code : G3 MRP: ₹ 149.00

www.totalexam.in
help@totalexam.in
888-27-555-63

Follow Us @ TotalExam

TotalExam
जुनून वर्दी का

राजव्यवस्था
RAGDA
Handwritten Notes

CAPF | NDA | CDS | FCAT | CPO | SSC GD
ARMY | NAVY | AIR FORCE | STATE POLICE

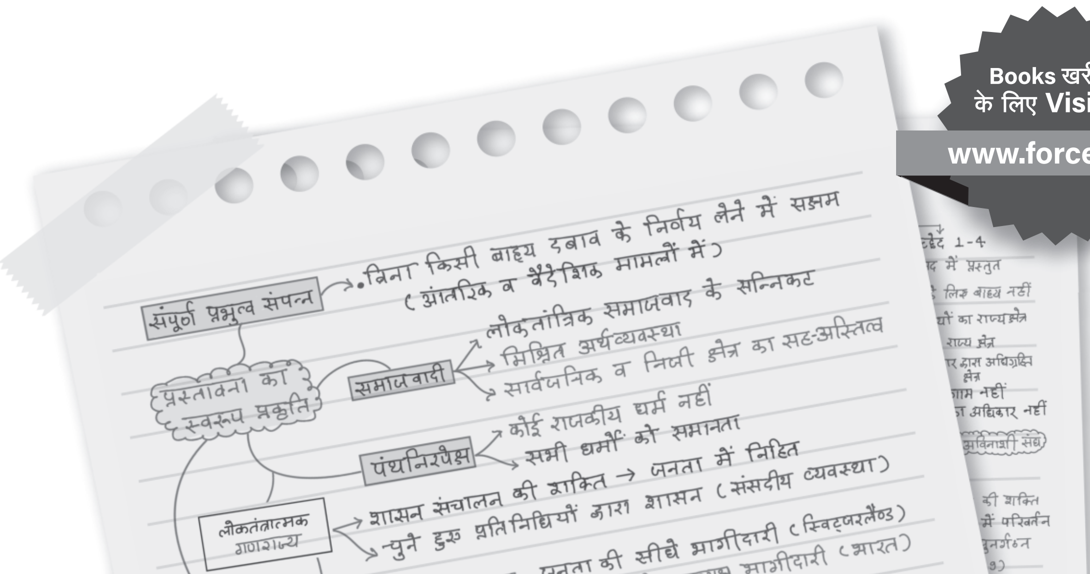

Books खरीदने के लिए Visit करें
www.forcekit.in

www.totalexam.in
help@totalexam.in
888-27-555-63

Follow Us @ TotalExam

चैप्टर List

1.	भारत का संवैधानिक विकास	1–2
2.	संविधान निर्माण	3–5
3.	संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएँ	6–8
4.	संविधान के प्रमुख स्रोत, भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ	9–11
5.	संघ एवं राज्य क्षेत्र	12–13
6.	नागरिकता	14
7.	मौलिक/मूल अधिकार	15–18
8.	राज्य के नीति निदेशक तत्व	19–20
9.	मौलिक कर्त्तव्य	21
10.	राष्ट्रपति	22–24
11.	प्रधानमन्त्री व केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्	25–26
12.	संसद	27–32
13.	राज्य कार्यपालिका	33–34
14.	राज्य विधानमंडल	35–37
15.	सर्वोच्च न्यायालय	38–39
16.	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	40–43
17.	केन्द्र–राज्य सम्बन्ध	44–47
18.	आपात उपबन्ध	48–49
19.	स्थानीय स्वशासन	50–53
20.	राजभाषा	54–55
21.	संविधान संशोधन	56–58
22.	संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय	59–65
23.	परिशिष्ट	66–76

1 भारत का संवैधानिक विकास

संवैधानिक विकास

- कम्पनी का शासन (1773 - 1858)
- क्राउन का शासन (1858 - 1947)

कम्पनी का शासन 1773 - 1858

रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

- बंगाल का गवर्नर ↓ बंगाल का गवर्नर जनरल (मुम्बई, मद्रास अधीन) (लार्ड वारेन हेस्टिंग्स
- केन्द्रीय प्रशासन का आरम्भ
- सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774)

प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे

अन्य न्यायाधीश-
- राबर्ट चैम्बर्स
- स्टीफन सीजर लिमेस्टर
- जान हाइड

पिट्स इण्डिया एक्ट 1784

- दोहरी सरकार प्रणाली →
  - वाणिज्यिक (कोर्ट आफ डायरेक्टर्स)
  - राजनीतिक (बोर्ड आफ कंट्रोल)
- गवर्नर जनरल की परिषद 4 से 3
- कंपनी क्षेत्र ' ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश'

चार्टर एक्ट 1813

- व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर)
- शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये
- मुक्त व्यापार की नीति

चार्टर एक्ट 1833

- बंगाल का गवर्नर जनरल ↓ भारत का गवर्नर जनरल (प्रथम लार्ड विलियम बैंटिंक)
- विधि आयोग का गठन ↓ 1834 (अध्यक्ष - मैकाले)
- चाय व्यापार व चीन के साथ कंपनी एकाधिकार समाप्त

चार्टर एक्ट 1853

- विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग
- निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18
- भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति
- केन्द्रीय विधानपरिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति

क्राउन का शासन

↓

भारत शासन अधिनियम 1858

- शासन ब्रिटिश ताज के अधीन
- भारत का गवर्नर जनरल → भारत का वायसराय (प्रथम - लार्ड कैनिंग)
- 'भारत के राज्य सचिव' पद का सृजन
- निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति

↓

भारत परिषद अधिनियम 1861

- विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल
- मद्रास व बम्बई को पुन: विधायी अधिकार
- पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत
- अध्यादेश की शक्ति- वायसराय को
- विधानपरिषद ↓ बंगाल, पंजाब व उत्तर पश्चिमी प्रान्त

↓

भारत परिषद अधिनियम 1892

- केन्द्रीय / प्रांतीय विधानपरिषद → गैर- सरकारी सदस्यों की वृद्धि
- निर्वाचन पद्धति का आरम्भ
- प्रश्न पूछने व बजट पर बहस का अधिकार

↓

भारत परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले मिण्टो सुधार)

- मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (अरूण्डेल समिति की सिफारिश पर)
- केन्द्रीय / प्रांतीय विधानपरिषद का विस्तार
- कार्यकारी परिषद में भारतीय (प्रथम विधि सदस्य - सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा)

↓

भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉण्टेग्यू - चैम्सफोर्ड सुधार)

- प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारम्भ
- केन्द्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली
- प्रत्यक्ष निर्वाचन (सीमित मताधिकार) व पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार

↓

भारत सरकार अधिनियम 1935

- अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान
- संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची
- प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था
- पृथक निर्वाचक मण्डल का विस्तार
- गठन → संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक

↓

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- ब्रिटिश शासन का अंत
- वायसराय व सेक्रेटरी आफ स्टेट पद → समाप्त
- देशी रियासतों को भारत / पाकिस्तान में मिलने की छूट
- संविधान सभा को ↓ संविधान निर्माण व अंगीकरण शक्ति

2 संविधान निर्माण

पृष्ठभूमि

1895
- स्वराज विधेयक (बाल गंगाधर तिलक) में संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन

1928
- नेहरू रिपोर्ट
  ↓
  संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष - मोती लाल नेहरू (कांग्रेस)

1934
- एम.एन. राय द्वारा
  ↓
  संविधान सभा गठन की माँग

1935
- संविधान सभा की मांग
  ↓
  भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा

1940

वायसराय - लार्ड लिनलिथगो
- अगस्त प्रस्ताव
  ↓
  डोमेनियन स्टेट्स व संवैधानिक सुधार का वादा
- संविधान सभा की मांग कुछ शर्तों के साथ स्वीकार्य
  - → कांग्रेस
  - → मुस्लिम लीग

  } शर्तों से असहमत

  ↓

  विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह
  - → विनोबा भावे (प्रथम)
  - → जवाहर लाल नेहरू (द्वितीय)

1942
- क्रिप्स मिशन
  ↓
  संविधान सभा के गठन को स्वीकृति
  └ विरोध - मुस्लिम लीग
- डोमेनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग → कांग्रेस द्वारा
- पृथक पाकिस्तान की माँग
  ↳ जिन्ना द्वारा

1946

↓

- कैबिनेट मिशन (3 सदस्य)
  - पैथिक लारेंस (भारत सचिव / अध्यक्ष)
  - स्टेफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड)
  - ए.वी. अलेक्जेंडर (नौसेना बोर्ड)
- संविधान सभा का गठन
- कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति
- पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव - अस्वीकृत
- मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक निर्वाचन की माँग - स्वीकृत

संविधान सभा की संरचना

सदस्य संख्या

- कुल सीट - 389
  - 296 (निर्वाचित)
    - 292 (गवर्नर शासित प्रांत)
    - 4 (कमिश्नरी) प्रान्त से
  - 93 (नामित) देशी रियासतों से

आंशिक नामित / निर्वाचित

- देशी रियासत (नामित)
- ब्रिटिश प्रांत (निर्वाचित)
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन (10 लाख → 1 प्रतिनिधि)

अन्य तथ्य

- सभी वर्ग शामिल (हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं)
- महात्मा गाँधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

- प्रथम चुनाव - जुलाई / अगस्त 1946
- परिणाम - 296
  - → 208 (कांग्रेस)
  - → 73 (मुस्लिम लीग)
  - → 15 (अन्य) → (11+4)
- पाक विभाजन के बाद कुल सीटें - 299

संविधान सभा की बैठक

- पहली संसद - संविधान सभा
- प्रथम बैठक - 9 दिसम्बर 1946 (211 सदस्य उपस्थित)
- अस्थायी अध्यक्ष - डा. सच्चिदानंद सिन्हा
- स्थायी - डा. राजेन्द्र प्रसाद
- उपाध्यक्ष - H.C मुखर्जी (हरेन्द्र कोमार मुखर्जी)
- संवैधानिक सलाहकार - बी.एन.राव

मुख्य कार्य - संविधान निर्माण

अधिवेशन / सत्र

- कुल 11 अधिवेशन (165 दिन)
- पहला सत्र - 9-23 दिसम्बर 1946
  - └ 11th - 14-26 नवंबर 1949
- प्रेस व जनता को भाग लेने की आजादी
- कुल समय - 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
- कुल खर्च - लगभग 64 लाख रुपये

कुल महिला सदस्य - 15 • सुचेता कृपलानी (प्रथम महिला cm - UP)
• सरोजिनी नायडू (प्रथम राज्यपाल (U.P) • अमृत कौर (प्रथम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री)

प्रमुख समितियाँ : बड़ी / मुख्य – 8, लघु समितियाँ – 13

समिति	अध्यक्ष
• प्रारूप	बी आर अम्बेडकर
• संचालन	राजेन्द्र प्रसाद
• संघ शक्ति	जवाहरलाल नेहरू
• प्रान्तीय शक्ति	वल्लभ भाई पटेल
• झंडा समिति	राजेन्द्र प्रसाद
• अल्पसंख्यक	एच. सी. मुखर्जी
• सदन	पट्टाभि सीतारमैया
• प्रक्रिया नियम	राजेन्द्र प्रसाद

प्रारूप समिति – 7 सदस्य

1 - B.R अम्बेडकर
   └ भारतीय संविधान के जनक
2 - कृष्णास्वामी अय्यर
3 - एन. गोपाल स्वामी आयंगर
4 - सादुल्लाह खान
5 - B.L मित्र —Later— N माधवराव
6 - D.P खेतान —मृत्यु— T.T कृष्णामचारी
7 - के. एम मुंशी

संविधान सभा के अन्य कार्य

- •राष्ट्रध्वज अंगीकृत - 22 जुलाई, 1947 • डिजाइनर - पिंगली वेंकैया
- •राष्ट्रगीत } 24 जनवरी, 1950
  राष्ट्रगान }
  - └ राजेन्द्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति
  - └ 284 सदस्यों का संविधान पर हस्ताक्षर
- •राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन – मई, 1949
- •अंतिम ड्राफ्ट - 4 नवंबर, 1948 (B.R अम्बेडकर)
- •संविधान अंगीकृत – 26 नवंबर, 1949
  - └ संविधान दिवस
- •लागू – 26 जनवरी, 1950
  - └ लाहौर अधिवेशन (1929) – पूर्ण स्वराज दिवस
    - └ (26 जनवरी 1930)
- •संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह – हाथी

अन्य योगदान : मूल संविधान सुलेखकार – प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (अंग्रेजी)
– वसंत कृष्ण वैद्य (हिन्दी संस्करण)

• सजावट – नंदलाल बोस व ब्यौहार राम मनोहर सिन्हा

प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)		
• जवाहर लाल नेहरू – कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष, विदेश मामले		
• वल्लभ भाई पटेल - गृह सूचना एवं प्रसारण	शिक्षा	सी. राजगोपालाचारी
• बलदेव सिंह – रक्षा	संचार	अब्दुल रब निश्तार
• जगजीवन राम – श्रम	विधि	जोगेन्द्र नाथ मंडल
• लियाकत अली – वित्त	खाद्य एवं कृषि	राजेन्द्र प्रसाद
• गजनफर अली – स्वास्थ्य	व्यापार	टी टी चुंदरीगर
• आसफ अली – रेलवे	उद्योग एवं आपूर्ति	जॉन मथाई

3 संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएँ

प्रस्तावना
- → संविधान का परिचय/भूमिका → संविधान के सार तत्वों का उल्लेख (आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप, स्रोत, तिथि)
- → विचार - अमेरिकी संविधान
- → भाषा - आस्ट्रेलिया के संविधान से
- → प्रेरणा - उद्देश्य प्रस्ताव (नेहरू द्वारा - 13 दिसम्बर 1946)
- → संविधान सभा द्वारा स्वीकृति - 22 जनवरी 1947

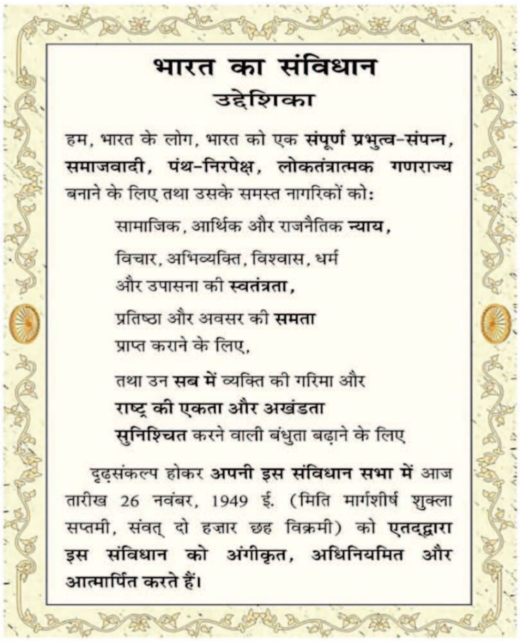

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

- गैर-वाद योग्य (Non-Justiciable)
- केवल एक बार संशोधन - 42वां संशोधन 1976
  - समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए।
- प्रस्तावना → न सरकार की शक्ति, न ही बाधा

विशेषज्ञों के विचार
- संविधान की कुंजी - अर्नेस्ट बार्कर
- दीर्घ कालिक सपनों का विचार - कृष्णास्वामी अय्यर
- संविधान का I D कार्ड (परिचय पत्र) - एन. ए. पालकीवाला
- गणतंत्र की जन्मकुंडली - के. एम. मुंशी
- संविधान की आत्मा - ठाकुर भार्गव दास

प्रस्तावना के घटक / तत्व
- स्रोत → हम भारत के लोग अर्थात जनता
- स्वरूप / प्रकृति
- लागू → 26 नवंबर 1949
- उद्देश्य
  - न्याय - सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक (3)
    - विचार - रूसी क्रान्ति 1917 से
  - स्वतंत्रता - विश्वास, धर्म, उपासना, विचार व अभिव्यक्ति (5)
    - विचार - फ्रांसीसी क्रान्ति से
    - आर्थिक स्वतंत्रता (नहीं)
  - समानता - सभी समान (विशेषाधिकार नहीं)
  - बंधुत्व - भाईचारा

प्रस्तावना का स्वरूप प्रकृति

- **संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न** → • बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम (आंतरिक व वैदेशिक मामलों में)
- **समाजवादी**
  - → लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट
  - → मिश्रित अर्थव्यवस्था
  - → सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व
- **पंथनिरपेक्ष**
  - → कोई राजकीय धर्म नहीं
  - → सभी धर्मों को समानता
- **लोकतांत्रिक**
  - → शासन संचालन की शक्ति → जनता में निहित
  - → चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन (संसदीय व्यवस्था)
  - **प्रकार**
    - → प्रत्यक्ष - जनता की सीधे भागीदारी (स्विट्जरलैंड)
    - → अप्रत्यक्ष - जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी (भारत)
- **गणराज्य** → राज्य का प्रमुख
  - → जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित (वंशानुगत नहीं)
  - → मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन का संचालन
  - ↓ भारत में राष्ट्रपति

प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद

- **बेरूबारी वाद (1960)**
  - • संविधान का अंग (×)
  - • संशोधनीय (×)
- **सज्जन सिंह केस (1964)**
  - • पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का सुझाव
- **गोलकनाथ वाद (1967)**
  - • संविधान की मूल आत्मा, शाश्वत व गैर-वादयोग्य
- **केशवानंद भारती वाद (1973)**
  - • संविधान का अंग (✓)
  - • संशोधन संभव, परन्तु मूल ढाँचे में नहीं
- **एस. आर. बोम्मई 1994**
  - • अभिन्न अंग
- **LIC बनाम भारत संघ (1995)**
  - • अभिन्न अंग (✓)
  - • न्यायालय में सीधे लागू (×)

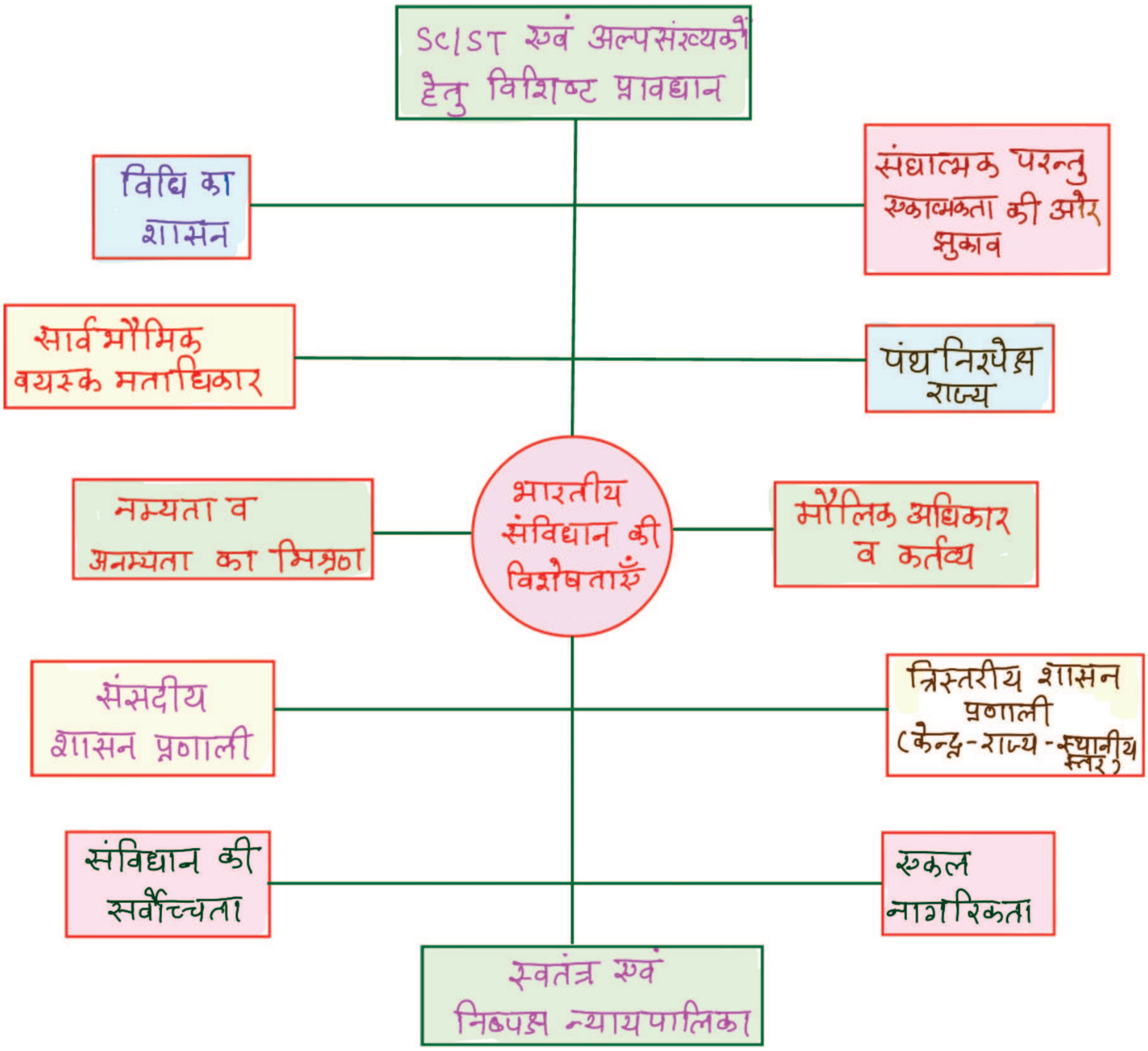

संविधान के एकात्मक व संघात्मक लक्षण

एकात्मक

- शक्तिशाली केन्द्र
- राष्ट्रपति शासन
- एकल नागरिकता
- अखिल भारतीय सेवा
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
- आपातकाल में केन्द्र को शक्ति विस्तार

संघात्मक

- संघ व राज्य में शक्ति विभाजन
- लिखित संविधान
- द्विसदनीय विधायिका
- संसद में उच्च सदन (राज्यसभा)
- केन्द्र व राज्य में अलग सरकारें
- संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया